

श्रीमान जी, ग्राम न्यायालय में खाता नं. 285, 229, 230, 378, 231, 232 में खातेदार का नाम मीनू पुत्र कालू जानि माली दर्ज है। प्रार्थी का समस्त हस्तावेजों में (आधार कार्ड, ननाधार शघर्क में राजीत पुत्र कालू नाम दर्ज है) अतः हाल जमावंदी में मीनू के स्थान पर राजीत पुत्र कालू जानि माली नाम दर्ज किया जाना है।

श्रीमान जी, मू अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट व लहरवातेदार के अपव्यय के आधार पर प्रजासूत्र प्रमाणपत्र के आधार पर प्रार्थी का नाम खाता सं. 229, 230, 231, 232, 378 में मीनू के स्थान पर राजीत रूपे विभाजन उचित है।

तहसीलदार की रिपोर्ट  
रिपोर्ट पत्वाली एवं अ. नि. की जांच के आधार पर मंडाज दुरुस्ती की अनुबंध की जाती है।

2025  
669

प्रभारी अधिकारी "ग्रामीण सेवा शिविर-2025"

तहसीलदार (भू. अ.) नसीराबाद

क्रमांक/375

दिनांक:- 13/10/24

आदेश

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार से अभिलेख में दुरुस्ती हेतु निवेदन किया गया है एवं इस दुरुस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं मू. अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट व तहसीलदार नसीराबाद की अनुशंसा अनुसार राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम ..... तहसील नसीराबाद की जमावंदी सम्वत् ..... के खाता संख्या ..... में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टी को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	पूर्व इन्द्राज का विवरण			स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज		
	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा
	पुल्लवा में इन्द्राज दुरुस्ती (सिद्ध नहीं) होने के कारण इन्द्राज निरस्त किया जाता है।					

क्रमांक: 5576-77/375 दिनांक: 13/10/24

प्रतिनिधि: 1. तहसीलदार नसीराबाद  
2. उपदेहा पत्रवाली

प्रभारी अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद, जिला अजमेर

